

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

का.भा. 1829(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 29 मार्च, 1994 की अधिसूचना सं० सां० आ० 267 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अलर्ट इंडिया (एसोसिएशन फॉर लीप्रेसी एजुकेशन रिहेबीलीटेशन एंड ट्रीटमेंट-इंडिया) 6 बी, मुख्याध्यपक भवन, तीसरा तल, रोड सं० 24, सॉयन (प०) बम्बई-400022 द्वारा (क) ग्रेटर बम्बई तथा नई बम्बई स्थित शहरी कुष्ठ रोग नियंत्रण परियोजनाओं के अन्तर्गत कुष्ठ रोगियों, (ख) नई बम्बई स्थित टी०बी० नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत टी०बी०नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत टी०बी० रोगियों का पता लगाने, उपचार तथा इलाज के लिए तथा (ग) ऐरोली, बम्बई स्थित एकीकृत स्वास्थ्य देखरेख परियोजना को चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1995-1996 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 17 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 17 जनवरी, 1995 की अधिसूचना सं० 217 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 29 मार्च, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 305 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था, और जिसे बाद में दिनांक 13 जून, 2003 की अधिसूचना सं० सां० आ० 683 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था,

और जबकि दिनांक 6 जनवरी, 1995 की अधिसूचना सं० सां० आ० 21 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 190.32 लाख रुपये से बढ़ाकर 270.02 लाख रुपये कर दिया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के बारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलर्ट इंडिया (एसोसिएशन फॉर लीप्रेसी एजुकेशन रिहेबीलीटेशन एंड ट्रीटमेंट-इंडिया) 6 बी, मुख्याध्यपक भवन, तीसरा तल, रोड सं० 24, सॉयन (प०) बम्बई-400022 द्वारा (क) ग्रेटर बम्बई तथा नई बम्बई स्थित शहरी कुष्ठ रोग नियंत्रण परियोजनाओं के अन्तर्गत कुष्ठ रोगियों, (ख) नई बम्बई स्थित टी०बी० नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत टी०बी०नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत टी०बी० रोगियों का पता लगाने, उपचार तथा इलाज के लिए तथा (ग) ऐरोली, बम्बई स्थित एकीकृत स्वास्थ्य देखरेख की परियोजना को चलाने की परियोजना या स्कीम को 270.00 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 296/2006/फा. सं. एन सी-274/03/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)